# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः—177 / 2022 दायर दिनांकः—14.07.22

जीसीएमएस नं. 2022 / 445

1. दयाल पुत्र रामप्रसाद उम्र 55 साल जाति ब्राहम्ण निवासी दुब्वेपाडा हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. शीला पुत्री रामप्रसाद पत्नि सुरेन्द्र आयु 50 साल जाति ब्राहम्ण निवासी अमृत कॉलोनी पंडा का कुआ के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली

——————सायलान—02

बनाम

1. आशा पत्नि बृजेन्द्र कुमार जाति महाजन, निवासी हिण्डौन सिटी हाल महेन्द्रा शोरूम स्टेशन बजरिया, सवाई माधोपुर
2. गोपाल पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावरा रोड बाईपास चौराहे के पास हिण्डौन सिटी जिला करोली
3. बृजेन्द्र कुमार पुत्र रामहेतलाल जाति महाजन निवासी हिण्डौन सिटी हाल महेन्द्रा शोरूम स्टेशन बजरिया, सवाई माधोपुर
4. विशम्भर पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डावरा रोड बाईपास चौराहे के पास हिण्डौन सिटी जिला करोली
5. टीकम पुत्र विष्णु कुमार आयु 60साल जाति महाजन निवासी भायलापुरा हिण्डौन सिटी जिला करोली
6. पवन पुत्र विशम्भर चतुर्वेदी आयु 40 साल जाति ब्राहम्ण निवासी द्वारकाप्रसाद वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली

——————गैरसायलान—07

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित—1. श्री संतोष मुदगल अधिवक्ता वादीगण

2. श्री नरेन्द्र सिह जादौन प्रतिवादीगण

## निर्णय

दिनांकः— 19-11-24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने जरिए वकील खिलाफ गैरसायलान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कास्तक[illegible]यम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है [illegible] 2429 / 1 रकबा 1.09 है0 कस्बा हिण्डौन सिटी जिला करौली बाई[illegible] मुख्य सडक के किन[illegible]त है, जिसमें सायलान प्रत्येक वहिस्सा 1 / 6 के खातेदा[illegible]श्तकार है तथा रिकॉ[illegible]तेदार मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है जो कि लाऔलाद फौत हुए है जिनके सायलान व गैरसायल न0 2 एवं 4 कानूनी वारिसान है और उनके तर्के पर काबिज एवं दखिल है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजी खसरा न0. 2430/1 रकबा 1.35 है0 बाईपास रोड, मुख्य सडक के किनारे कस्बा हिण्डौन सिटी में स्थित है, जिसमें सायलान प्रत्येक बहिस्सा 2/15 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 व 3 प्रार्थना पत्र का सायलान एवं गैरसायल स. 1 लगायत 4 ने बाहमी बटवारा कर रखा है और बटवारो के अनुसार सायलान गैरसायल स. 1 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से पर काबिज एवं दखिल चले आ रहे है। सायलान के हिस्से से गैरसायल स. 1 लगायत 4 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

उक्त आराजी मुतजिक्रा 2 व 3 प्रार्थना पत्र मण्डावरा बाईपास चौराहा के पास, मुख्य सडक किनारे स्थित है, जो कि बेशकिमती भूमि है, इस कारण गैरसायलान स0 1 लगायत 4 के मन में बदयान्ति बाके हो गई है और वह बिना विधिवत बटवारा कराये सडक किनारे की भूमि को भूमाफिया गैरसायल स. 5 व 6 (प्रोपर्टी डीलर) को विक्रय करके सायलान के हिस्से की भूमि से सायलान को जबरन बेदखल करना चाहते है।

बाकया दिनांक 08.07.2022 की सुबह करीब 9 बजे का है, गैरसायल स0 1 लगायत 6 सायलान के पास आये और सायलान से कहने लगे कि हमने भूमि को गैरसायल स. 5 व 6 को विक्रय कर दिया तथा तुम भी इनको भूमि विक्रय कर दो। तो सायलान ने अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने से इंकार कर दिया तो गैरसायलान यह धमकी देकर चले गये कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि रिहायशी भूखण्ड बनाकर दीगर लोगो को विक्रय कर देगे, और तुम्हारे हिस्से से तुम्हे जबरन बेदखल कर देंगे।

दिनांक 09.07.2022 की सुबह सायलान अपने हिस्से की आराजी मुतजिक्रा मद न0 2 व 3 प्रार्थना पत्र को देखने गए तो गैरसायलान स0. 1 लगायत 6 मौके पर जेसीबी से नींव खुदवाकर मजदूरों के जरिये जबरन बाउण्डीवाल करवा रहे थे तो सायलान ने बाउण्ड्रीवाल करने से मना किया तो गैरसायालान बोले कि तुमसे जो बने कर लेना हम तो ऐसे ही निर्माण कार्य करके तुम्हे तुम्हारे हिस्से से बेदखल करेगें। सायलान ने गैरसायलान को काफी निवेदन किया कि हम गरीब आदमी है हमारे साथ अन्याय मत करो, किन्तु गैरसायलान अजखुद मानने को तैयार नहीं है। गैरसायालान ने मौके पर करीब तीन फुट उची बाउण्ड्रीवाल करके भूखण्डों की डिमार्केशन कर ली है। जो बिना विधिक अधिकार, बिना विधिवत बंटवारा कराये बनाई है जिसका कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र कर अर्ज है कि प्रार्थना [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा सायलान स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को [illegible] निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वह गैरसायलान ना तो [illegible] ही दीगर व्यक्तियों की मदद से विवादित भूमि खसरा न0 2429/1 रकबा 1.09 है. [illegible] खसरा न0 2430/1 रकबा 0.35 है0 स्थित बाईपास रोड मुख्य सडक के किनारे कस्बा हिण्डौन मुतजिक्रा मद न0 2 व 3 प्रार्थना पत्र में सायलान के हिस्सा के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, सायलान को बेदखल ना करे, दीगर व्यक्तियों को रहन–व्यय ना करे, कृषि भूमि को वेस्ट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

डेमज एण्ड एलीनेट ना करे। कृषि भूमि को अकृषि कार्य में परिवर्तित ना करे। उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। आराजी मुतजिक्रा 2 व 3 प्रार्थना पत्र पर बिना विधिक अधिकार बिना विधिवत बंटवारा कराये मौके पर की गई करीब दो फुट उंची बाउण्ड्रीवाल को अपने खर्चे पर हटा ले तथा गैरसायलान द्वारा न हटाने पर माननीय न्यायालय की देखरेट मे हटवाया जावेएवं भविष्य में कोई निर्माण न करने के लिये पांवद किया जावे एवं गैरसायलान विवादित आराजीयात के संबंध में रिकॉर्ड व मौके की रिथति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1, 3, 5, 6 की ओर से दिनांक 16.08.2022 को श्री नरेन्द्र सिंह जादौन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया एवं 15.09.2022 को जवाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. सायलान द्वारा गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा विधि विरूद्ध रूप से पेश किया जाना स्वीकार है जिसमें सायलान को सफलता मिलने की कोई संभावना किसी प्रकार से नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र के मद न0 02 में दर्ज आराजी खसरा न0 2429/1 कस्वा हिण्डौन में सायलान दयाल व शीला का 1/6–1/6 हिस्सा होना स्वीकार है, खातेदार मोतीलाल पुत्र प्रभुलाल की आराजी से सायलान का या गैरसायल स0 2 व 4 का कोई संबध या वास्ता किसी प्रकार से नहीं है उक्त आराजी में गैरसायल स0 1 अपने 1/6 हिस्सा की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसमें सायालान या गैरसायलान स. 2 व 4 या खातेदार मोतीलाल का कोई संबंध या वास्ता किसी प्रकार से नहीं है सायलान एवं गैरसायल स. 2 व 4 व खातेदार मोतीलाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी को जरिये प्रतिज्ञा पत्र वर्ष 2008 में ही दीगर लोगो को विक्रय कर कब्जे में दी है जिन पर दीगर लोगा आवसीय मकान बनाकर रिहायस कर रहे है।
3. प्रार्थना पत्र के मद न0 3 में दर्ज आराजी खसरा न0 2430/1 में सायलान प्रत्येक का हिस्सा 2/15–2/15 एवं गैरसायल सं 1 का हिस्सा 4/15, गैरसायल स. 3 का हिस्सा 1/5, गैरसायल सं. 2 व 4 का हिस्सा 2/15– 2/15 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है सायलान एवं गैरसायलान स. 2 व 4 ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये अंपजीकृत दस्तावेज काफी अरसा पूर्व दीगर लोगो को प्लॉट काटकर, गैरसायल स. 1 व 3 की सहमति के बिना विक्रय कर कब्जे में दे दी [illegible] आराजी में भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के किसी भी भाग पर [illegible] स. 2 व 4 का कोई मौके पर नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:39 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थना पत्र के मद न0 4 में दर्ज तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं है, सायलान एवं गैरसायलानं स. 2 व 4 जो कि खास भाई–बहिन है, द्वारा उक्त संयुक्त आराजी का विधिवत बंटवारा कराये बिना, गैरसायल स. 1 व 3 के हिस्से की भूमि को भी अपनी भूमि बताकर, गोपनीय रूप से स्टाम्प पेपरों पर विक्रय कर अंतरित कर दिया है जिसके संबंध में गैरसायल स. 1 व 3 द्वारा अंतरित दस्तावेज की जानकारी कर, सायलान एवं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायल स. 2 व 4 के विरूद्ध शीघ्र ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी जावेगी। सायलान या गैरसायल स0 2 व 4 का उक्त सामलाती भूमि में दर्ज हिस्से के किसी भी भाग पर वर्ष 2008 के बाद कभी कोई कब्जा नहीं रहा है सायलान व गैरसायल स. 2 व 4 के हिस्से पर मौके पर जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे है आवसीय मकान बनाकर रिहायस कर रहे है।

5. प्रार्थना पत्र के मद न0 5 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये है गलत है स्वीकार नहीं है, वादग्रस्त आराजी में गैरसायल स. 5, 6 का कोई संबंध या वास्ता किसी प्रकार से नहीं है गैरसायल स. 1 व 3 ने वादग्रस्त आराजी मे से मौके पर सायलान व गैरसायल स. 2 व 4 द्वारा बची हुई अपने हिस्से से काफी कम भूमि पर ही सुधार कार्य करवाये है सायलान का उक्त खसरों की भूमि में से एक इंच भूमि पर भी कोई कब्जा काश्त नहीं है इसलिये उन्हे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।
6. प्रार्थना पत्र के मद न0 6 में दर्ज तथ्य काल्पनिक व झुठे दर्ज किये है जो स्वीकार नहीं है दिनांक 04.07.2022 को गैरसायल स. 1 व 3 अन्य गैरसायलान के साथ सायलान के पास नहीं गये और ना ही उनके द्वारा उक्त मद मे वर्णित कोई बाते सायलान से कही, गैरसायल स. 2 व 4 सायलान के खास भाई है जिनसे मिलकर सायलान ने महज मुकदमें में एक पक्षीय स्थगन करने के लिये उक्त वाद कारण झुठा दर्ज किया है।
7. प्रार्थना पत्र के मद न0 7 में दर्ज तथ्य गलत है, स्वीकार नहीं है। गैरसायल न0 1 व 3 द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से से कम भूमि पर काफी अरसा पूर्व की बाउण्ड्रीवाल करवा रखी है, जिस पर सायलान या गैरसायलान स. 2 व 4 का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है दिनांक 09.07.2022 को सायलान की गैरसायल स. 1 व 3 से उक्त वाद में दर्ज कोई बाते नहीं हुई है फिर भी रिकॉर्ड की खातिर गैरसायल स. 1 व 3 वादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा कराने के लिये पूर्णतया सहमत है।
8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये है गलत है स्वीकार नहीं है, वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से को सायलान द्वारा गैरसायल सं 2 व 4 के साथ मिलकर वर्ष 2008 में ही दीगर लोगों को विक्रय कर दिया है इसलिये उनका उनका उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है, सायलान को वादग्रस्त आराजी के सबंध में गैरसायल के कृत्य से कोई अपूर्णनीय क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

जबाव शामिल पत्रावली किया गया। आदेशिका दिनांक [illegible] से गैरसायल न0 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं गैरसायल न0 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी, गैरसायल न0 2 की ओर श्री प्यारेलाल [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। आदेशिका दिनांक 25.04.2024 को गैरसायल स. 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नही इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में असल फोटोग्राफ मौका, नकल जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 2553, 2552 मय नक्शा ट्रैस वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को नकारते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2071—74 खाता संख्या 2553, 2552 मय नक्शा ट्रैस वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डोन खातेदारी सायलान व गैरसायलान 1 ता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेज एंव उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायल व गैरसायल न0 1 ता 4 एवं अन्य सहखातेदारभी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं अतः प्रकरण में उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत् रखते हुए प्रकरण में दिनांक 14.07.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में खसरा न0 2429/1, 2430/1 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी में सायलान के हिस्सा के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत मदाखलत पैदा नही करने, सायलान को बेदखल नही करने, दीगर व्यक्तियों को रहनव्यय नहीं करने व मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

19/11/24

(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:18:39 IST
Reason: SelfAttested